


RBE No.108/2019



PCPO's Sl.No.144/2019

No. E/254/O/ECR/HJP IREM

Dated:- 02.08.2019

1. CAO (Gen)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उध. महाप्रबंधक/ विधि/ पटना।
9. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी, कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय : Scheme for filling up the posts Loco Running Supervisors (Chief Loco Inspectors and Chief Crew Controllers/Chief Power Controllers/Chief Traction Controllers) – modification thereof/

संदर्भ : Railway's Boards Lt.No. E(P&A)II-2009/RS-17 Dated: 03.07.2019

विषयार्थित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

OS/MPP
for info as indicated
on leaf
9/8/19

रवि
5-8-19
(सौरभ साविण)
वकाधि/ ई.एस.एम
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/ हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनाार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकेयू/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एस0.सी0./ एस0.टी0./ एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव, ओ.बी.सी.एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

6.1.1 For other than footplate duties performed by them outside their headquarters beyond a radius of 8 kilometers – ALK of 160 Km. per day. An exception has been made in Board's letter No. E(P&A)II/83/RS/10 (iv) dated 21.12.1993 to the effect that ALK @ 160 kms per day shall be admissible to LIs without any stipulation that they should be out of the Headquarters beyond 8 kms., in the event of their attending breakdown duties. This should be continued with.

6.1.2 For other than footplate duties performed in the Headquarter or within a radius of 8 km. from the Headquarter – ALK of 120 Km. per day.

6.1.3 In case the CLIs are deployed for foot plate duties for part of the day and for other than foot plate duties in the moving train or at outstation for the remaining part of the day, the payment of KMA/ALK shall be made either in terms of para No. 6 or 6.1.1 above, whichever is higher.

6.2 The CLIs who are posted as CLIs (CCC, CPRC & CLTC) would get ALK of 120 Km. per day at the rate applicable to a Loco Pilot (Mail/Express) for stationary duties in the HQ and within a radius of 8 kms. ALK of 120 Kms. would be payable for all days in a month without any deduction on the non-working days.


6.3 No TA/DA would be admissible to CLIs.

7. Training: After selection the CLIs should mandatorily be given training as per Railway Board's letter No. E(MPP)2009/3/26 dated 13.07.2009 and as amended from time to time.

8. Pensionary benefits: The CLIs would also continue to be provided with add on pay element of 30% (or as fixed by the competent authority) of basic pay for pensionary benefits in terms of para No. 5.5 of Board's letter no. E(P&A)II/83/RS/10 dated 25.11.1992.

9. The above instructions would take effect from the date of issue of this letter. In cases where the selection process for filling up the posts of CLIs has been initiated (that is, notification has already been issued), in terms of earlier eligibility conditions, the same may be finalised accordingly. Other features of the extant policy on the subject, which have not been modified by the above mentioned instructions, will remain unchanged.


10. This has the approval of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.


(N.P. SINGH),
Joint Director/E(P&A),
Railway Board.

No. E(P&A)II-2009/RS-17

New Delhi, dated 03.07.2019.

Copy forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.


for Financial Commissioner/Railways.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(पी एंड ए) II-2009/आरएस-17

आरबीई सं./08/2019
नई दिल्ली, दिनांक 03.07.2019

महाप्रबंधक(पी)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें
एवं उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: लोको रनिंग पर्यवेक्षक (मुख्य लोको निरीक्षक और मुख्य क्रू नियंत्रक/मुख्य पावर नियंत्रक/मुख्य कर्षण नियंत्रक) के पदों को भरने की योजना - तत्संबंधी आशोधन।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड के पत्र सं.:

- | | |
|---|---|
| 1. ई(पी एंड ए)II/83/आरएस/10 दि. 25.11.1992 | 2. ई(पी एंड ए)II/83/आरएस/10 (iv) दि. 21.12.1993 |
| 3. ई(पी एंड ए)II/83/आरएस/10 (iv) दि. 16.05.1996 | 4. ई(पी एंड ए)II/83/आरएस/10 दि. 9.01.1998 |
| 5. ई(पी एंड ए)II/83/आरएस/10 (i) दि. 09.01.1998 | 6. ई(पी एंड ए)II/83/आरएस/10 दि. 21.09.1998 |
| 7. ई(पी एंड ए)II/83/आरएस/10 दि. 16.04.1999 | 8. ई(पी एंड ए)II/83/आरएस/10 दि. 07.10.2002 |
| 9. ई(पी एंड ए)II/2002/आरएस/24 दि. 14.01.2004 | 10. ई(पी एंड ए)II/2002/आरएस/24 दि. 23.07.2004 |
| 11. ई(पी एंड ए)II/2005/आरएस/24 दि. 01.12.2005 | 12. ई(पी एंड ए)II/2006/आरएस/21 दि. 03.01.2007 |
| 13. ई(पी एंड ए)II/2007/आरएस/14 दि. 26.03.2009 | 14. 2001/एम(एल)/467/2 दि. 12.11.2012 |
| 15. ई(पी एंड ए)II/2009/आरएस/17 दि. 27.03.2014 | 16. ई(पी एंड ए)II/2009/आरएस/17 दि. 23.07.2014 |
| 17. ई(पी एंड ए)II/2007/आरएस/14 दि. 12.02.2015 | 18. ई(पी एंड ए)II/2009/आरएस-17/पार्ट.1 दि. 27.12.2016 |

+++++

1. मुख्य लोको निरीक्षक और मुख्य क्रू नियंत्रक/मुख्य पावर नियंत्रक/मुख्य कर्षण लोको नियंत्रक के पदों को भरने की योजना से संबंधित बोर्ड के पत्रों का संदर्भ ऊपर दिया गया है। पिछले कुछ समय से उक्त योजना को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में प्रश्न रेलवे बोर्ड का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। बोर्ड के दिनांक 12.11.2012 के पत्र सं. 2001/एम(एल)/467/2 के तहत मौजूदा योजनाओं में कुछ आशोधन जारी किए गए थे। बहरहाल, इन्हें बोर्ड के दिनांक 27.03.2014 और 23.07.2014 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)II/2009/आरएस/17 के तहत स्थगित रखा गया था।

1.1 इस संबंध में, बोर्ड द्वारा सशक्त समिति का गठन किया गया, जिसने इस योजना का अध्ययन किया और सिफारिशों को बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया। सशक्त समिति द्वारा इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने और दोनों मान्यताप्राप्त फेडरेशनों यथा एआईआरएफ एवं एनएफआईआर से परामर्श करने के बाद बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और इस रिपोर्ट को आंशिक स्वीकृत करने के बाद, चयन प्रक्रिया की विधि बनाये रखते हुए, इस योजना को निम्नलिखित पैराग्राफों के अनुसार आशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

2. **पद/संवर्ग:** सभी लोको निरीक्षकों को पहले ही ग्रेड पे ₹4600/लेवल 7 के मुख्य लोको निरीक्षक (सीएलआई) के रूप में पदनामित कर दिया गया है। अब यह विनिश्चय किया गया है कि मुख्य क्रू

नियंत्रक/मुख्य पावर नियंत्रक/मुख्य कर्षण लोको नियंत्रक (सीसीसी/सीपीआरसी/सीटीएलसी) के पदों, जो कू लॉबी, पावर कंट्रोल कार्यालयों और टीएलसी कार्यालयों के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, का भी सीएलआई के पदों से विलय कर दिया जाए। बहरहाल, अब उनके पदों को सीएलआई (सीसीसी), सीएलआई (सीपीआरसी) अथवा सीएलआई (सीटीएलसी) के रूप में पदनामित किया जाए। सीसीसी/सीपीआरसी/सीटीएलसी के पदों का ग्रेड पे ₹4200/लेवल 6 से ग्रेड पे ₹4600/लेवल 7 में अपग्रेडेशन उनके समतुल्य बचत के लिए मैचिंग सरैंडर के बाद किया जाए।

2.1 सीएलआई (सीसीसी, सीपीआरसी एवं सीएलटीसी) के पद संवेदनशील पद होने के कारण, इन्हें क्रमावर्ती (रोटेशनल) स्थानांतरणों को मौजूदा मानकों के अनुसार जारी रखा जा सकता है।

2.2 कू नियंत्रक, पावर नियंत्रक, कर्षण लोको नियंत्रक (सीसी/पीआरसी/टीएलसी) के पद, जिन्हें कू लॉबियों, पावर नियंत्रण कार्यालयों और टीएलसी कार्यालयों में पालियों में कार्य करने के लिए तैनात किया गया है, ग्रेड पे ₹4200/लेवल 6 में ही रहेंगे और इन पदों को ड्राफ्टिंग की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ही भरा जाएगा।

2.3 सीसीसी/सीपीआरसी/सीटीएलसी के पदों का सीएलआई के पदों में विलय होने के परिणामस्वरूप, प्रत्येक कू लॉबी, पावर नियंत्रक कार्यालय और टीएलसी कार्यालय में एक ड्राफ्टेड सीसी/पीआरसी/टीएलसी (यदि पहले से रिक्त न हो) की अधिकता हो जाएगी। ऐसे मामले में, प्रत्येक कू लॉबी, पावर नियंत्रण कार्यालय और टीएलसी कार्यालय के कनिष्ठतम सीसी/पीआरसी/टीएलसी को सीएलआई (सीसीसी) अथवा सीएलआई (सीपीआरसी) अथवा सीएलआई (सीटीएलसी), जैसा भी मामला हो, की तैनाती से पहले रनिंग इयूटी के लिए वापस भेजा जा सकता है।

3. **पात्रता:** सीएलआई और सीएलआई (सीसीसी, सीपीआरसी एवं सीटीएलसी) के पदों को भरने के लिए लोको रनिंग स्टाफ से सामूहिक रूप से चयन किया जाएगा। एलपी (मेल), एलपी (पैसंजर) और एलपी (गुड्स) जिन्होंने लोको पायलट के रूप में 5 लाख किलोमीटर की वास्तविक फुटप्लेट इयूटी (बोर्ड के दिनांक 12.02.2015 के पत्र सं. ई (पी एंड ए) II/2007/आरएस/14 में वास्तविक फुटप्लेट इयूटी को परिभाषित किया गया है) को पूरा किया है अथवा लोको पायलट के रूप में 10 वर्ष की वास्तविक सेवा पूरी की है, जो भी पहले हो, योग्यता (लिखित परीक्षा) सह वरिष्ठता के माध्यम से चयन के पात्र होंगे। वर्तमान में सीसी, पीआरसी और टीएलसी के रूप में कार्यरत ड्राफ्टेड लोको पायलट भी चयन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।

3.1 सीएलआई के पदों में चयन के लिए चिकित्सा मानक मौजूदा ए-3 चिकित्सा मानकों के समान होने चाहिए।

3.2 ए-3 चिकित्सा मानक तक के चिकित्सीय रूप से विकोटिकृत लोको पायलट और जिनके पास उपर्युक्त पैरा 3 के अनुसार ड्राइविंग का अनुभव हो, भी बोर्ड के दिनांक 03.01.2007 के पत्र सं. ई(पी एंड ए) II/2006/आरएस/21 के तहत चयन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

4. **चयन:** मण्डल के कार्मिक विभाग द्वारा रिक्तियों के मूल्यांकन के बाद सीएलआई और सीएलआई (सीसीसी, सीपीआरसी एवं सीटीएलसी) के रिक्त पदों के लिए पात्र और इच्छुक लोको रनिंग स्टाफ में से विकल्पों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। योग्यता-सह-वरिष्ठता की चयन प्रक्रिया के माध्यम से पैनल का गठन किया जाना चाहिए। यह योग्यता एपीएआर, सेवा रिकॉर्ड और ड्राइविंग रिकॉर्ड के साथ-साथ लिखित परीक्षा पर आधारित होनी चाहिए।

5. **वेतन निर्धारण:** सीएलआई के रूप में चयनित रनिंग स्टाफ का वेतन निर्धारित करते समय, 30% अतिरिक्त वेतन तत्व (या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित) का लाभ दिया जाता रहेगा और बोर्ड के दिनांक 25.11.1992 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)II/83/आरएस/10 के अनुसार अगले उच्चतर स्तर में वेतन निर्धारित किया जाएगा।

6. **भत्ते:** सीएलआई को भारतीय रेल स्थापना संहिता, वॉल्यूम II के नियम 1514 और 1515 (1)(क) में यथा उल्लिखित वास्तविक फुटप्लेट इयूटी दी जाती रहेगी और तदनुसार लोको पायलट (मेल/एक्सप्रेस) के लिए यथा लागू और समय-समय पर अधिसूचित दर के अनुसार रनिंग भत्ते (केएमए) का भुगतान किया जाता रहेगा।

6.1 सीएलआई को किलोमीटर के बदले में भत्ता (एएलके) निम्नलिखित स्थितियों और दरों पर लागू होगा:-

6.1.1 सीएलआई द्वारा मुख्यालय के बाहर 8 किलोमीटर की परिधि से आगे फुटप्लेट इयूटियों के अलावा की गई इयूटियों के लिए - 160 किमी प्रति दिन का एएलके अनुमेय है। इस संबंध में बोर्ड के दिनांक 21.12.1993 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)II/83/आरएस/10 (iv) में छूट दी गई है कि एलआई को 160 किमी प्रति दिन की दर पर किमी भत्ता बिना किसी शर्त पर अनुमेय होगा कि वे अपनी ब्रेकडाउन इयूटी करने की हालत में 8 किमी की दूरी पर मुख्यालयों के बाहर होने चाहिए। इसे जारी रखा जाएगा।

6.1.2 मुख्यालय अथवा मुख्यालय से 8 किमी की परिधि में फुटप्लेट इयूटियों के अलावा की गई इयूटियों के लिए- 120 किमी प्रति दिन का एएलके अनुमेय है।

6.1.3 यदि सीएलआई आधे दिन के लिए फुटप्लेट इयूटियों और चलती गाड़ियों में फुटप्लेट इयूटी से इतर इयूटी के लिए तैनात किए जाते हैं अथवा बाकी दिन के लिए आउटस्टेशन पर तैनात किए जाते हैं, तो केएमए/एएलके का भुगतान उक्त पैरा सं. 6 अथवा 6.1.1 के अनुसार, जो भी अधिक हो, तय किया जाएगा।

6.2 सीएलआई, जो सीएलआई (सीसीसी, सीपीआरसी एवं सीएलटीसी) के रूप में तैनात है, को मुख्यालय में और 8 किमी की परिधि में स्थायी इयूटियों के लिए लोको पायलट (मेल/एक्सप्रेस) के लिए लागू दर के अनुसार 120 किमी प्रति दिन का एएलके दिया जाएगा। एक माह में गैर-कार्य दिवसों के लिए कटौती किए बिना सभी दिनों के लिए 120 किमी का एएलके देय होगा।


6.3 सीएलआई को कोई टीए/डीए अनुमेय नहीं होगा।

7. **प्रशिक्षण:** चयन के बाद, सीएलआई को रेलवे बोर्ड के दिनांक 13.07.2009 के पत्र सं. ई(एमपीपी)2009/3/26 और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाए।

8. **पेंशन लाभ:** सीएलआई को बोर्ड के दिनांक 25.11.1992 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)II/83/आरएस/10 के पैरा सं. 5.5 के अनुसार पेंशन लाभ के लिए मूल वेतन के 30% (अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित) का अतिरिक्त वेतन तत्व दिया जाता रहेगा।

9. उक्त अनुदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। उन मामलों में जहां सीएलआई के पदों को पिछली पात्रता शर्तों पर भरने के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है (अर्थात् अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है), उन्हें तदनुसार अंतिम रूप दिया जाए। इस विषय पर मौजूदा नीति की अन्य विशेषताएँ, जो उक्त उल्लिखित अनुदेशों द्वारा आशोधित नहीं की गई हैं, अपरिवर्तित रहेंगी।

10. इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है और इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।



(एन. पी. सिंह),

संयुक्त निदेशक/ई(पी एंड ए)

रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए) II-2009/आरएस-17

नई दिल्ली, दिनांक 03.07.2019

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।




कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

सं. ई(पी एंड ए) II-2009/आरएस-17

नई दिल्ली, दिनांक 03.07.2019

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- (1) प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।
- (2) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ।
- (3) महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. लखनऊ।
- (4) निदेशक (क) ईरीन, नासिक (ख) इरिसेन, पुणे (ग) इरमी, जमालपुर (घ) इरिसेट, सिकंदरबाद।
- (5) अध्यक्ष, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
- (6) मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपत राय मार्केट, पी.ओ. बॉक्स सं. 2032, दिल्ली -06.



(एन. पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक/ई(पी एंड ए)


रेलवे बोर्ड।

सं. ई(पी एंड ए) II-2009/आरएस-17

नई दिल्ली, दिनांक 03.07.2019.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- (i) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ।
- (ii) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर।



नवीन कृते सचिव/रेलवे बोर्ड।

PCPO/S no. 145/19
E/259101 ECR/H
04/8/19.